DMS No-24840

पत्रांक : वाई.ई.ए./ए0सी0ई0ओ0/255/2017
दिनांक– 16/6/2017

कार्यालय ज्ञाप

प्राधिकरण की 60वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–60/13, दिनांक 09.06.2017 में लिए गये निर्णय के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समस्त प्रकार की आवंटित परिसम्पत्तियों/ कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत एल.एफ.डी. हेतु लीज डीड के विरूद्ध देय धनराशि (डिफाल्टिड एमाउन्ट) के भुगतान हेतु रि–शेड्यूलमेन्ट की सुविधा दिनांक 31.07.2017 तक अंतिम रूप से अधोलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी :–

1. प्राधिकरण द्वारा आवंटित समस्त प्रकार की परिसम्पत्तियों/कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत एल0एफ0डी0 हेतु लीज डीड के विरूद्ध देय धनराशि (डिफाल्टिड एमाउन्ट) के भुगतान हेतु जिन आवंटियों द्वारा वर्तमान तक किश्तों के पुनर्निर्धारण की सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है उन समस्त आवंटियों को प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–55/12 दिनांक 14.03.2016 में लिये गये निर्णय के आधार पर सुविधावधि प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.07.2017 तक लिखित रूप से आवेदन करना होगा। यह सुविधा अंतिम होगी एवं इसके पश्चात् अनुमन्य नहीं होगी।
2. उक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु आवंटी को दिनांक 31.07.2017 तक प्राधिकरण में लिखित रूप से आवेदन के साथ भूखण्ड के सापेक्ष डिफाल्टिड धनराशि (प्रीमियम + अतिरिक्त प्रतिकर) का 5 प्रतिशत एक मुश्त भुगतान करना होगा।
3. अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि रि–शेड्यूलमेन्ट मॉग पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर (30 दिन की अवधि पर योजना के आधार पर ब्याज आरोपित किया जायेगा) आवंटी द्वारा प्राधिकरण को अदा की जायेगी। शेष देय धनराशि को कैपिटलाईज (Capitalizeक) करके कैपिटलाईज धनराशि पर योजना की निर्धारित दर से ब्याज छःमाही समान किश्तों में पुनर्निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि पुनर्निर्धारित धनराशि के भुगतान के लिये अधिकतम अवधि आवंटित भूखण्ड की योजना की मूल भुगतान अवधि से अधिक नहीं होगी जिसकी गणना मूल आवंटन की तिथि से की जायेगी।
4. प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि पर कृषकों द्वारा विभिन्न कारणों से दायर वादों में वर्तमान तक स्थगन आदेश प्रभावी होने की दशा में केवल उतने क्षेत्रफल पर ही योजनावार दण्डात्मक ब्याज (Penal interest) की छूट अनुमन्य होगी जितने क्षेत्रफल पर मा0 उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है।
5. जिन प्रकरणों में प्राधिकरण की 55वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या–55/12 दिनांक 14.03.2016 में लिये गये निर्णय के आधार आवेदन करने की निर्धारित तिथि 30.04.2016 थी तथा उन सभी आबंटियों द्वारा अतिदेय धनराशि के सापेक्ष 15 प्रतिशत धनराशि के विरूद्ध पार्ट धनराशि जमा की गयी है, ऐसे प्रकरणों में वर्तमान तक डिफाल्टिड धनराशि के सापेक्ष 15 प्रतिशत धनराशि की गणना (प्रीमियम + अतिरिक्त प्रतिकर) करते हुए (पूर्व में जमा की गयी 15 प्रतिशत पार्ट धनराशि) को घटाते हुए अवशेष अन्तर धनराशि (प्रीमियम + अतिरिक्त प्रतिकर) का भुगतान दिनांक 31.07.2017 तक मय ब्याज एक मुश्त जमा कराये जाने के उपरान्त ही किश्तों के रि–शेड्यूलमेन्ट की सुविधा अनुमन्य होगी।

16.6.
(अमरनाथ उपाध्याय)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वैयक्तिक सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय के अवलोकनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
3. विशेष कार्याधिकारी (एच/एस.बी./एम.) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
4. महाप्रबन्धक/संबंधित उपमहाप्रबन्धक (परियोजना),यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
5. समस्त योजना प्रभारी/प्रबंधक– I(सम्पत्ति), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
6. गार्ड फाईल।

16.6.
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी